न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

विविध वाद सं0 —11 / 2019

राम कुमार साह............................वादी।

बनाम्

मोहन भर वगै0...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

24.01.2026 आवेदेक की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 17.05.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 02 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के विपक्षी सं0 10 दुलरिया देवी की मृत्यु की हो चुकी है और उनके कानूनी वारिसान पहले से अभिलेख पर मौजुद है तथा अनुरोध करते हैं कि विपक्षी सं0 10 दुलरिया देवी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय।

विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर अनापति दर्ज किया गया है।

सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समय सीमा के अन्दर है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर अनापति दर्ज किया गया है। अतः आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 17.05.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 02 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यलय आवेदनानुसार विपक्षी सं0 10 दुलरिया देवी का नाम कलमजद करे।

दिनांक—07.03.2026 वास्ते सुनवाई हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)